(1500/VB/NKL)

1500 बजे

गृह मंत्री (श्री अमित शाह): माननीय अध्यक्ष जी, इन दोनों बिल्स पर सदन के 17 सम्मानित सदस्यों ने अपने-अपने विचार रखे हैं। कुछ लोगों ने इनका समर्थन किया है, कुछ लोगों ने सुझाव दिये हैं और कुछ लोगों ने विरोध किया है। मैं सभी सदस्यों का मन से धन्यवाद करना चाहता हूँ। जिन लोगों के मन में इस बिल के लिए कुछ-कुछ आपत्तियाँ थीं, आपके माध्यम उन्होंने अपने विचार सदन में रखे हैं, मैं निश्चित रूप से उनका जवाब भी देना चाहूँगा।

काफी सदस्यों ने जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा, देश की सीमाओं की सुरक्षा और आतंकवाद के बारे में चिन्ता व्यक्त की है। मैं इस सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से सभी सदस्यों को और देश की सवा सौ करोड़ जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि नरेन्द्र मोदी सरकार आतंकवाद के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपनाकर चल रही है और वह चालू है। आतंकवाद को जड़ समेत उखाड़ने के लिए यह सरकार कृतनिश्चयी है और मुझे भरोसा है कि जनता के सहयोग से हम जरूर सफल होंगे।

यह जो लड़ाई है, मनीष जी ने कहा कि विचारधारा से ऊपर उठकर इसको लड़िएगा। मनीष जी, इसको विचारधारा से ऊपर उठकर जरूर लड़ना चाहिए, जब विचारधारा ऐसी हो। हमारी तो विचारधारा ही भारत माता के हित में समाहित है, इसलिए इससे ऊपर उठने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी विचारधारा ही हमें बताती है कि टॉप-मोस्ट प्रायरिटी इस देश की सुरक्षा, देश के जनता की सुरक्षा और देश की सीमाओं की सुरक्षा होनी चाहिए। इसीलिए मेरी विचारधारा, मेरी पार्टी की विचारधारा, मेरे पक्ष की विचारधारा ही इस लक्ष्य को सिद्ध कर सकती है, ऐसा मेरा विनम्र मत है।

जब 2014 में श्री नरेन्द्र मोदी देश के प्रधान मंत्री बने, श्री राजनाथ जी देश के गृह मंत्री बने, तो इस सरकार ने डे-वन से ही जम्मू-कश्मीर की शांति के लिए आतंकवाद को नष्ट करने को टॉप-मोस्ट प्रायरिटी दी है। यह ज़ीरो टॉलरेंस की नीति सिर्फ भाषणों की नहीं रही, यह ज़ीरो टॉलरेंस की

नीति सिर्फ सदन में और राजनीतिक जलसों में तक़रीरों के लिए ही नहीं रही, इसको जमीन पर उतारने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा ढेर सारे कदम उठाए गए।

पहले सीएपीएफ की कम्पनियों की कमी रहा करती थी, वह कभी इधर जाती थीं, कभी उधर जाती थीं। हमने कम्पनियाँ भी बढ़ाईं और कम्पनियों के आबंटन में जम्मू-कश्मीर को टॉप-मोस्ट प्रायरिटी पर रखा। सुरक्षा बलों की जितनी कम्पनियों की डिमांड है, उससे एक भी कम्पनी आज कम नहीं है।

सीएपीएफ के जवान देश भर में सुरक्षा का काम करते हैं, नक्सलवादी क्षेत्रों में भी काम करते हैं, वामपंथी उग्रवाद के क्षेत्रों में भी काम करते हैं, दंगों में भी काम करते हैं, चुनाव के वक्त भी वे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। मगर जम्मू-कश्मीर में एक विशिष्ट प्रकार की परिस्थिति है क्योंकि वहाँ जो आतंकवाद है, वह पाक-प्रेरित आतंकवाद है।

यह पाकिस्तान की सरहद से जुड़ा हुआ प्रदेश है, यहाँ सीएपीएफ की कुछ विशिष्ट माँगें थीं, जिनमें हाई सिक्योरिटी इक्विप्मेंट्स में- वी.पी. व्हीकल्स, सीसीटीवी कैमरा, अत्याधुनिक गन्स, रडार, कमाण्डो ट्रेनिंग सेन्टर आदि चीजें थीं, जिनसे पूरा एक पेज भर जाए, इतनी इनकी रिक्वायरमेंट्स आई थीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस सदन को बताते हुए आनन्द हो रहा है कि 2307 करोड़ रुपये खर्च करके उनकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी की गई हैं।

मैं कल ही रिव्यू लेकर आया हूँ। सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी की गईं। सीआरपीएफ के जो हेड हैं, वहाँ डीजी बैठे थे, उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद पहली बार हमारी रिक्वायरमेंट्स की लिस्ट ज़ीरो हुई है।

वहाँ एजेंसियों के को-ऑर्डिनेशन की बड़ी दिक्कत थी क्योंकि वहाँ सेना भी होती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भी होती है, आईबी भी काम करती है, रॉ भी काम करती है, मिलिट्री एजेंसी भी काम करती है, सीआरपीएफ भी काम करती है और जम्मू-कश्मीर पुलिस भी काम करती है। जब इतनी सारी एजेंसियाँ एक छोटे-से क्षेत्र में काम करें, तो को-ऑर्डिनेशन की बड़ी दिक्कत आती है।

(1505/PC/KSP)

इतनी सारी एजेंसियां जब एक छोटे से क्षेत्र के अंदर काम करें, तो कॉर्डिनेशन में बड़ी दिक्कत आती थी। गत सरकार के समय के अंदर मल्टी डिसिप्लिनरी टैरर मॉनिटरिंग ग्रुप - टीएमजी को बनाया गया। आज हर सप्ताह टीएमजी के सदस्य बैठते हैं और कोऑर्डिनेट होकर आतंकवाद का सामना करने का सफल प्रयास करते हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रपति शासन लगाया, जम्हूरियत की बात की जाती है, राज्यपाल शासन लगाया, लोकतंत्र का गला घोंट दिया, जो ये बात कर रहे हैं, मैं ज़रा उनको बताना चाहता हूं कि लोकतंत्र का गला घोंटने का प्रयास किसने किया है। ...(व्यवधान) हमने तो विशिष्ट परिस्थिति के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाया। यह सदस्यों की जानकारी में रहे, इसलिए मैं आपके माध्यम से सदन के पटल पर रखना चाहता हूं कि इस देश में अब तक - आज होगा तो उसके बाद 133 हो जाएंगे - 132 बार धारा 356 का उपयोग किया गया है। ...(व्यवधान) 132 बार में से 93 बार कांग्रेस पार्टी के द्वारा इसका उपयोग किया गया है। ...(व्यवधान) आज ये हमें लोकतंत्र सिखाएंगे? ...(व्यवधान) राष्ट्रपति शासन क्यों लगाया है? ...(व्यवधान) एक विशिष्ट परिस्थिति है, आपने तो चुनी हुई 20-20 सरकारों को 356 के तहत एक दिन के अंदर ध्वस्त कर दिया था। ...(व्यवधान) आपने राजनीतिक उद्देश्य के लिए यह किया था। ...(व्यवधान) हमने कभी 356 का उपयोग राजनीतिक उद्देश्य के लिए नहीं किया।

माननीय अध्यक्ष जी, ये हमें बता रहे हैं कि लोकतंत्र रहना चाहिए। मैं आपके माध्यम से सदन के सभी सदस्यों के सामने अपनी पीड़ा रखना चाहता हूं। लोकतंत्र रहना चाहिए, यह बात तो ठीक है, मगर लोकतंत्र के रहते जब कुछ चीज़ें इस प्रकार की होती हैं, जिन पर वोट बैंक के लालच में कभी कुछ नहीं किया जा सकता है, इसकी भी चर्चा इस सदन में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अध्यक्ष जी, मैं मानता हूं कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। जमात-ए-इस्लामी पर आज तक क्यों प्रतिबंध नहीं लगाया गया। आप किस को खुश करना चाहते थे? यह भारतीय जनता पार्टी की नरेन्द्र मोदी सरकार है, जिसने जमात-ए-इस्लामी पर प्रतिबंध लगाकर उसके कैडर को निष्क्रिय

कर दिया। जेकेएलएफ - इतने सालों से आप किस देश का लिब्रेशन करना चाहते हैं? जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इसको देश के मानने वालों पर …(व्यवधान) जेकेएलएफ पर प्रतिबंध किसने लगाया? भारतीय जनता पार्टी ने लगाया।

माननीय अध्यक्ष जी, आतंकवादियों को समर्थन देने वाले सभी लोगों को प्रेवेंटेव अरेस्ट के तहत जितना गत सरकार के समय में जेल में डाला गया है, इतना आजादी के बाद कभी नहीं डाला गया। प्रेवेंटेव अरेस्ट को बधाई। जेलों की सुरक्षा चरमराई हुई थी। अंदर टैरिरिस्ट्स के ट्रेनिंग कैम्पस चलते थे। एके-47 को कैसे चार मिनट में खोलकर असेंबल किया जाता है, इसके वीडियो बनते थे। हमारी सरकार ने जेलों की व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त कर के आज जेलों के अंदर जो लोग जा रहे हैं, उनको एहसास हो रहा है कि टैरिरिज़म को फैलाने का मतलब क्या होता है। यह एहसास दिलाने काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है।

माननीय अध्यक्ष जी, जो देश विरोधी बात करता था, उसको सुरक्षा दी जाती थी। सुरक्षा देने के लिए खतरे के पैरामीटर्स होते थे। जम्मू कश्मीर में एक नया पैरामीटर था। चार भारत विरोधी बयान दे दो, आपको तुरंत सुरक्षा मिल जाएगी। …(व्यवधान) मेरी तो समझ में ही नहीं आता। …(व्यवधान) सरकार के खर्चे से, भारत की जनता के खर्चे से भारत विरोधियों को सुरक्षा देने का क्या तर्क था? कोई थ्रैट नहीं है, मारने वाले उनको नहीं मारेंगे, यह पूरी दुनिया को मालूम है। मारने वाले भारत की बात करने वाले को मारते हैं। भारत की बात करने वाले को सुरक्षा नहीं मिलती थी, भारत का विरोध करने वाले को सुरक्षा मिलती थी। …(व्यवधान) इसका रिव्यु कभी नहीं किया जाता है। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, 2 हजार लोगों को जो व्यक्तिगत सुरक्षा दी गई थी, उसका हमने रिव्यु किया। उनमें से 919 ऐसे लोग थे, जिनको सुरक्षा का कोई खतरा नहीं था, उनको भारत विरोधी सर्टिफिकेट के कारण सुरक्षा मिली थी। …(व्यवधान) उनकी सुरक्षा को हटाने का काम इस सरकार ने किया है। …(व्यवधान) पाकिस्तान के चैनल्स दिखाए जाते थे, भारत विरोधी प्रचार होता था, भारत विरोधी कार्यक्रम होते थे, भारत के अंदर की बातों को तोड़-मरोड़कर रखा जाता था।

(1510/SPS/SRG)

जो कश्मीर के युवा को बहकाता था, गुमराह करता था, उन चैनलों पर रोक कभी नहीं की गयी। मैं आज इस सदन के अंदर श्रीमान् राजनथ सिंह जी बैठे हैं, उनका अभिनन्दन करना चाहता हूं, देश के प्रधान मंत्री का अभिनन्दन करना चाहता हूं कि भारत विरोधी जितने भी पाकिस्तान के भी अनऑथराइज्ड चैनल थे, उनका प्रसारण इस सरकार ने बंद करने का काम किया।

माननीय अध्यक्ष जी, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने लड़ी है, मेरा ऐसा मानना नहीं है। माननीय सदस्य मनीष जी ने ठीक ही कहा है कि हर पार्टी जब सरकार में रही है, उसने आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का प्रयास किया है। इसको नेस्तनाबूत करने के लिए इसका किसी ने समर्थन नहीं किया, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे कोई भी पार्टी। परंतु माननीय अध्यक्ष जी, मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि लड़ने-लड़ने के तरीके में बड़ा अंतर होता है, बहुत अंतर होता है। पहले लड़ाई क्या चलती थी कि टेरेरिस्ट वहां से घुसकर आते थे, यहां अपने लड़कों को गुमराह करते थे, अपनी टोली को बड़ा करते थे, हथियार मिल जाते थे, पैसे मिल जाते थे और बेरोकटोक भारत के अंदर टेरेरिज्म को फैलाते थे। हम लड़ाई क्या लड़ते थे कि उन टेरेरिस्टों को मारते थे, उन अपने लड़कों को मारते थे। अपनी जमीन पर अपने सुरक्षाकर्मी, अपने लड़के भी मरते थे, टेरेरिस्ट भी मरते थे। एप्रोच क्या होनी चाहिए? टेरेरिज्म कहां से आता है? हम सब को मालूम है कि कश्मीर के अंदर और देश के अंदर जो टेरेरिज्म की समस्या है, वह पड़ोस के देश से आती है, वहीं से जनरेट होती है। ये कश्मीर का टेरेरिज्म पाक प्रेरित टेरेरिज्म है। हम हमारी जमीन पर लड़ाई लड़ते थे। देश की जनता ने मोदी जी को चुना, परिवर्तन आया और मोदी जी को चुनने के बाद लड़ाई के तरीके में परिवर्तन आया। हमारी भूमि पर लड़ाई लड़नी हो तो वे तो लड़ते ही हैं और भी मजबूती से लड़ते हैं और भी मजबूती से लड़ेंगे, परंतु जहां टेरेरिज्म की जड़ है, वहां उनके घर में घुसकर उनके दिल दहलाने, हमले करवाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया।

माननीय अध्यक्ष जी, हमने एयर स्ट्राइक की, सर्जिकल स्ट्राइक की, सवाल उठाए गए, शान्ति के दूत प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने लगे। मैं कहना चाहता हूं कि रिकॉर्ड क्लीयर रहना चाहिए देश की

जनता और दुनिया के सामने कि हमारे दोनों सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के अंदर एक भी नागरिक की मौत नहीं हुई, पूरे के पूरे टेरेरिस्ट मारे गए। माननीय अध्यक्ष जी रिकॉर्ड क्लीयर रहना चाहिए और हमने कोई हमला नहीं किया है। यह भारत का आत्म रक्षा का अधिकार है। एक सार्वभौमिकता प्राप्त करने वाले देश को अपनी आत्म रक्षा का अधिकार है और सर्जीकल स्ट्राइक तथा एयर स्ट्राइक दोनों भारत की आत्म रक्षा के अधिकार का प्रयोग है। पहले जब सर्जिकल स्ट्राइक की, दुनिया भर के डिफेंस के पण्डित कहते थे कि भारत की नीति नहीं है, ये फ्ल्यूक है, अचम्भे में हो गया है, अचानक कर दिया है। यह बात भी सही थी, पहली बार हो रहा था। जो बोलते थे, वह तो हम सुनते थे। जवाब देने की स्थिति में नहीं थे। पुलवाला हमला हुआ, हमारे 40 सी.आर.पी.एफ. के जवान शहीद हो गए। सब को लगता था कि अब क्या होगा? अचम्भे से तो अब नहीं होगा, पाकिस्तान सावधान है। बीच में सेना बिछा दी, टैंक बिछा दिए, मगर माननीय अध्यक्ष जी नरेन्द्र मोदी सरकार का देश की रक्षा के लिए कमिटमेंट जस का तस था। उन्होंने टैंक बिछाए, तोपें बिछाईं, सेना बिछा दी, नरेन्द्र मोदी जी ने एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया किया। एयर स्ट्राइक होने के बाद आज दुनिया में कोई नहीं कहता कि यह फ्ल्यूक है। पूरी दुनिया मानती है कि भारत की सुरक्षा नीति बनी है और देश को सुरक्षित करने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। मैं यह नहीं कहता कि बाकी पार्टियों ने कोई काम नहीं किया है, मगर करने-करने में अंतर है और उनके परिणामों में भी अंतर आता है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं तो जाना नहीं चाहता था, कुछ लाया भी नहीं था कि क्या बोलूं। मुझे लगता था कि सब समर्थन कर देंगे तो मेरे बोलने का मौका ही नहीं आएगा। मनीष जी खड़े हो गए। मनीष जी ने इतिहास की बात की।

(1515/KDS/KKD)

इन्होंने इतिहास की बात की है, तो मुझे भी इतिहास में जाना पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष जी, ये इतिहास की बात करते हैं। इन्होंने विभाजन की बात की, कि विभाजन के कारण पूरा देश रक्तरंजित हो गया। विभाजन का कोई समर्थन नहीं करता। हम न उस वक्त विभाजन का समर्थन करते थे, न आज करते हैं। मनीष जी विभाजन का सवाल उठा रहे हैं। किसने किया विभाजन?

हमने नहीं किया है। विभाजन की सहमति किसने दी? हम आज भी कहते हैं कि धर्म के आधार पर देश का बंटवारा नहीं होना चाहिए। यह ऐतिहासिक गलती हुई है। इसकी उँचाई हिमालय जितनी है और गहराई सागर जितनी है। मगर हमने वह गलती नहीं की है। गलती आपने की है, आपकी पार्टी ने की है और इस इतिहास से आप भाग नहीं सकते।

माननीय अध्यक्ष जी, ये हमें इतिहास की दुहाई दे रहे हैं। एक तिहाई हिस्सा जम्मू-कश्मीर का हमारे पास नहीं है। किसके कारण नहीं है? जब महाराजा हरि सिंह जी ने भारत के साथ संधि की, तो वायुसेना के विमानों से भारत की फौज वहाँ गई। उसने पाकिस्तान की कबीलाई के रूप में भेजी हुई सेना को खदेड़ना शुरू किया। खदेड़ते-खदेड़ते काफी हद तक कश्मीर से लेकर आज की एल.ओ.सी. तक पहुंचे। किसने सीज़फायर कर दिया?

माननीय अध्यक्ष जी, हमने नहीं किया। जवाहर लाल नेहरू उस वक्त प्रधान मंत्री थे, जिन्होंने सीज़फायर किया। वह हिस्सा आज पाकिस्तान में है। आप हमें इतिहास सिखाते हैं, आरोप लगाते हैं, प्रेस कांफ्रेंस करते हैं, इसको भरोसे में नहीं लेते, उसको भरोसे में नहीं लेते, फलाने को नहीं लेते, ढिमके को नहीं लेते। जवाहर लाल नेहरू जी ने देश के गृह मंत्री और उप प्रधान मंत्री को भी भरोसे में लिए बगैर यह कर दिया। अगर भरोसे में लेते, तो आज पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत के कब्ज़े में होता। इसको वापस लेने के लिए इतनी जद्दोज़हद न होती और शायद भरोसे में लेते तो टेरेरिज़्म का मूल ही न उगता। इसलिए, मनीष जी इतिहास हमें मत सिखाइए।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूं कि बहन मीनाक्षी लेखी ने कहा कि 600 से ज़्यादा रिसासतें थीं, राजे-रजवाड़े थे। ओवैसी जी चले गए हैं। वह मुझे सुनने के लिए नहीं बैठे हैं। ऐसी प्रॉब्लम हैदराबाद में भी हुई थी। मजलिस ने ऐसा किया था। ऐसी प्रॉब्लम जूनागढ़ में भी हुई थी, मगर ये दोनों प्रॉब्लम्स सरदार पटेल जी टैकल कर रहे थे। आज हैदराबाद और जूनागढ़ भारत का हिस्सा हैं। उस वक्त जम्मू-कश्मीर कौन देख रहा था? ...(व्यवधान)। माननीय अधीर रंजन जी, सुरेश जी बैठिए, मैं जवाब दे रहा हूं। मैंने सवाल नहीं खड़े किए। ...(व्यवधान)। जवाब क्यों न दें? उस भूल के कारण आज देश को सज़ा भुगतनी पड़ रही है। उस भूल के कारण आज हज़ारों लोग

मारे जा रहे हैं। उस भूल के कारण देश टेररिज़्म का शिकार बना है। क्यों न दें जवाब? …(व्यवधान) क्यों न दें नाम? जरूर देंगे। ये इतिहास का हिस्सा हैं। …(व्यवधान)। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बस इतना पूछना चाहता हूं। सुरेश जी, प्लीज़ मुझे सुनिए। …(व्यवधान)।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आपने वायदा किया था कि आप व्यवधान पैदा नहीं करेंगे। आप बात सुनें। जब आपके माननीय सदस्य बोल रहे थे, तब मैंने इधर की बेंचों के सदस्यों को चुप कराया था।

…(<u>व्यवधान</u>)

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Why are you blaming Jawaharlal Nehru? …(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Hon. Members please sit down.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Hon. Members, please calm down.

… (*Interruptions*)

श्री अमित शाह : मुझे जवाब तो देने दीजिए। मैं बताता हूँ। …(व्यवधान)

(1520/MM/RP)

माननीय अध्यक्ष : आसन पैरों पर है। आप लोग कृपया बैठ जाइए।

…(<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष : आसन पैरों पर है। मैं व्यवस्था दे रहा हूं।

…(<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आसन पैरों पर है।

…(<u>व्यवधान</u>)

श्री अमित शाह : सुरेश जी, आपके नेता बोल रहे हैं, उनको तो सुन लीजिए।…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): अगर हिस्ट्री की बात हो रही है तो हमें भी बोलने का मौका दीजिए। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपको बोलने का मौका देंगे।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपके माननीय सदस्य ने भी हिस्ट्री बतायी थी।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपको रिप्लाई के बाद बोलने का मौका देंगे।

...(व्यवधान)

श्री अमित शाह : माननीय अध्यक्ष जी, मुझे मालूम नहीं था कि सच्चाई सुनकर इनको इतना दुख लगेगा। मैं फिर से नाम नहीं लूंगा, प्रथम प्रधान मंत्री कहूंगा। ...(व्यवधान) नाम नहीं लूंगा, कह तो रहा हूं ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कृपया करके बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज़ बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं व्यवस्था देख लूंगा।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आसन पैरों पर है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, जब आपके माननीय सदस्य इतिहास के बारे में बोल रहे थे तब मैंने ट्रैज़री बैंचिज़ से भी आग्रह किया था कि कोई व्यवधान पैदा नहीं करेगा। आपने भी कहा था। अगर आपको कोई बात कहनी है तो माननीय गृह मंत्री के बाद दो मिनट बोलने का समय आपको भी दिया जाएगा।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, आप इनसे रेज़ोल्यूशन पर बोलने के लिए कहिए। रेज़ोल्यूशन से बाहर बोलेंगे …(व्यवधान)

श्री अमित शाह : माननीय अध्यक्ष जी, अधीर रंजन जी जिस संधि की बात कर रहे हैं, मैं उनको स्मरण कराना चाहता हूं कि यह संधि सिर्फ जम्मू-कश्मीर के साथ नहीं हुई थी, देश की 630 रियासतों के साथ हुई थी। मेरा कहने का यही मतलब है कि 630 रियासतों के साथ संधि हुई कहीं 370 नहीं बचा है। श्री जवाहर लाल नेहरू ने एक ही जगह नेगोसिएशन किया था और आज वहां 370 है।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): स्पेशल सिचुएशन थी …(व्यवधान)

श्री अमित शाह : अध्यक्ष जी, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि स्पेशल सिचुएशन थी।

(1525/SJN/RCP)

इनके अप्रोच के कारण ही इस समस्या का उद्भव हुआ है।…(व्यवधान) साहब, ऐसे तो नहीं चलेगा। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य बैठ जाइए।

…(<u>व्यवधान</u>)

श्री अमित शाह : अधीर रंजन जी, आप बोलने ही नहीं देंगे। ऐसा कैसे चलेगा।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय गृह मंत्री जी के वक्तव्य के अलावा कुछ भी रिकार्ड में नहीं जाएगा।

… (Interruptions) … (Not recorded)

श्री भगवंत मान (संगरूर) : आप बिल पर बोलिए।…(व्यवधान)

श्री अमित शाह : मैं बिल पर ही बोल रहा हूं।…(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, यहां चिंता व्यक्त की गई।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, सीट पर बैठे-बैठे ज्ञान मत दीजिए। यह संसद है, मर्यादा से चलेगी।

…(<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, प्लीज बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

श्री अमित शाह : माननीय अध्यक्ष जी, अभी कहा जाए कि भरोसा नहीं है। मैं पार्शियली इस बात से सहमत हूं कि जम्मू-कश्मीर की आवाम और भारत की आवाम के बीच में खाई पैदा हुई है। मगर भरोसा क्यों नहीं बना, क्योंकि पहले से भरोसा बनाने का प्रयास ही नहीं किया गया था। मैं थोड़ा-और इतिहास में पीछे जाना चाहता हूं। जम्मू-कश्मीर के अंदर सन् 1931 में मुस्लिम कान्फ्रेंस की स्थापना हुई। इसके नेता कौन थे? शेख अब्दुल्ला साहब। मुस्लिम कान्फ्रेंस की स्थापना हुई। कांग्रेस ने वहां पर लंबे समय तक अपनी पार्टी भी नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई, क्योंकि मुस्लिम कान्फ्रेंस को चलाना चाहिए, समर्थन करना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष जी, क्या हुआ? Congress Party put all the eggs in Sheikh Abdullah's bucket. सारे अंडे एक ही टोकरी में रखे और अब्दुल्ला साहब टोकरी लेकर ही भाग गए। स्थिति क्या पैदा हुई? शेख अब्दुल्ला साहब को वहां का प्रधान मंत्री बनाया गया। 23 जून, 1953 को जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जम्मू-कश्मीर के संविधान का विरोध करते हुए, परमिट प्रथा का विरोध करते हुए, देश में दो प्रधान मंत्री के प्रावधान का विरोध करते हुए, जम्मू-कश्मीर की सरहद के अंदर घुसे, तो उनको जेल के अंदर डाल दिया गया था और जेल के अंदर उनकी शंकास्पद मृत्यु हो गई थी।…(व्यवधान) अब कहेंगे कि अगर मृत्यु हो गई, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसकी जांच तो हो सकती है। करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देश के विपक्ष का नेता था। नई बनी हुई, मगर एक पार्टी का नेता था। देश के भूतपूर्व उद्योग मंत्री थे, बंगाल के नेता थे। अगर आज बंगाल भारत में है, तो उसमें श्यामा प्रसाद जी का योगदान है। वरना आज बंगाल भारत में नहीं होता।

माननीय अध्यक्ष जी, उनकी मृत्यु हुई, लेकिन जांच नहीं की गई। उसके बाद देश में ऐसे हालात बने कि 8 अगस्त को शेख अब्दुल्ला को पदच्युत करके उनको जेल में डालना पड़ा। किसने भरोसा किया? क्यों भरोसा किया? वहीं से यह विश्वास टूटने की बात शुरू हुई है, मनीष भाई।

माननीय सदस्य ने कहा कि चुनाव कराने चाहिए। चुनाव नहीं करते हैं, तो जम्मू-कश्मीर की आवाम के अंदर शंका पैदा होती है। अच्छा हो गया कि ओवैसी साहब आ गए। ओवैसी जी ने भी कहा कि चुनाव कराने चाहिए, शंका उत्पन्न होती है। चुनाव कराए गए 1957 में, चुनाव कराए गए 1962 में, चुनाव कराए गए 1967, शंका क्यों उत्पन्न होती है, उसका मूल वहीं है। क्योंकि ये सारे के सारे चुनाव फर्ज़ी कराए गए, जिसमें जम्मू-कश्मीर की जनता को वोट नहीं देने दिया गया। हमारी सरकार नहीं थी, न 1957 में थी, 1962 में थी और न ही 1967 में थी। ये तीनों चुनाव डेमोक्रेसी के नाम पर मजाक थे। वहीं से जम्मू-कश्मीर की जनता के मन में इस शंका का बीज आरोपित हुआ है, जो आज बड़ा पेड़ बनकर, दरक बनकर खड़ा है। यह हमने शुरू नहीं किया है। यहां पर जम्मू-कश्मीर के मेंबरान भी बैठे हैं। वे शायद अब्दुल खालिक के नाम को जानते होंगे, जो श्रीनगर जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे। आधी घाटी श्रीनगर जिले में आती थी, उस वक्त ज्यादा जिले नहीं थे। उस वक्त दो हिस्से होते थे, एक जनता के चुने हुए एमएलए होते थे और एक खालिक साहब के बनाए हुए एमएलए होते थे।

(1530/GG/SMN)

तीनों चुनावों के अंदर ख़ालिक साहब के सामने ही पर्चे दिए जाते थे। ख़ालिक साहब उनको रिकॉर्ड पर नहीं लेते थे और 25 से 31 तक मेंबरान निर्विरोध चुने जाते थे। यह डैमोक्रेसी का मज़ाक हमने नहीं उड़ाया था। डैमोक्रेसी की हत्या हमने नहीं की थी। जब ख़ालिक जैसे लोग सरकार के एजेंट बन कर चुनाव कराते हैं तो जनता के मन में दुख होता है, दर्द होता है, पीड़ा होती है और उसमें से शंका उत्पन्न होती है। चुनाव तो सन् 1977 में मोरारजी भाई ने कराए थे। चुनाव तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कराए थे, जिसमें सबको वोट देने का अधिकार था। चुनाव हमारे शासन में हुआ। हमें पूर्ण बहुमत नहीं मिला। हमने बहुमत के लिए किसी ख़ालिक को नहीं ढूंढा। जनता ने जो मेंडेट दिया, उसको हमने स्वीकार किया। मैं अभी-भी कहना चाहता हूँ कि चुनाव आयोग जब भी तय करेगा, चुनाव डैमोक्रेटिक तरीके से कराए जाएंगे, स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से कराए जाएंगे। केन्द्र सरकार का उसमें कोई दख़ल नहीं होगा। कुछ मेंबरान ने पूछा कि चुनाव कब

कराएंगे? …(व्यवधान) सवाल आपकी बेंच से ही उठा। इसलिए उठा कि पहले इलैक्शन कमीशन कांग्रेस पार्टी चलाती थी, लेकिन हम नहीं चलाते हैं। हमारे समय में इलैक्शन कमीशन के फैसले इलैक्शन कमीशन ही करता है। …(व्यवधान) रिकॉर्ड है। …(व्यवधान) अगर आपको …(व्यवधान) साहब, ऐसे भी तीन अलग-अलग चुनाव आपने कराए हैं। …(व्यवधान) इतिहास में मत ले जाइए। इतिहास में ले जाओगे तो आपको ही सुनना पड़ेगा और बाद में वहां से डांट भी खानी पड़ेगी। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, आज कोई निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकता है। आज कोई भी पार्टी चुनाव लड़ सकती है। नई पार्टियां भी चुनाव लड़ती हैं। जीतती हैं और जीतकर आती हैं। कोई किसी को रोकता नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के तत्वधान में वहां की सिक्योरिटी फोर्सेस होती हैं, जो रैगिंग नहीं करती हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, शेख़ अब्दुल्ला जी को जेल में डाला। बाहर निकाला। फिर से सी.एम. बनाया। फिर से झगड़ा किया। फ़ारुख़ अब्दुल्ला जी सी.एम. बने और फ़ारुख़ अब्दुल्ला को भी बाहर निकालने का भी एक बड़ा इतिहास है। यहां से बी.के. नेहरु गवर्नर बन कर गए। उनको कहा गया कि अब आप राष्ट्रपति शासन की रिपोर्ट भेजो। बी.के. नेहरु कौन हैं, मुझे यह कहने की जरूरत नहीं है। किनके रिश्तेदार हैं, वह भी कहने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं आज बी.के. नेहरु साहब को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने वह रिपोर्ट नहीं भेजी। माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने रिपोर्ट नहीं भेजी। रुक जाते, ऐसा नहीं हुआ। इसके एक सप्ताह में ही बी.के. नेहरु का इस्तीफा कराया गया और दूसरा गवर्नर भेजा गया। दूसरे गवर्नर ने तीन ही दिन में 356 का उपयोग किया।

माननीय अध्यक्ष जी, शंका क्यों पैदा हुई थी? जम्मू-कश्मीर की वाम के दिमाग के अंदर शंका किसलिए पैदा हुई? शंका के बीज किसने रोपे? हमने नहीं रोपे थे। शंका के बीज रोपने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है।

माननीय अध्यक्ष जी, गुलाम मोहम्मद साहब को पार्टी तोड़ कर मुख्य मंत्री बना दिया गया। एक महीने के अंदर ही सिचुएशन ऐसी हुई कि मालूम ही नहीं पड़ा कि गुलाम मोहम्मद शाह भारत

के किसी सूबे के मुख्य मंत्री हैं या पाकिस्तान के किसी सूबे के मुख्य मंत्री हैं। उनके बयान इस तरह से आते थे कि उनको भी अंत में हटाना पड़ा। यह पूरी जो उठा-पटक चली, शेख़ अब्दुल्लाह साहब से ले कर गुलाम मोहम्मद साहब तक की, उस उठा-पटक के अंदर माननीय अध्यक्ष जी, गवर्नेंस समाप्त हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, टैरेरिज्म के खिलाफ हमारी जो लड़ने की मंशा थी, सिक्योरिटी फोर्सेज़ का जो हौसला था, जम्मू कश्मीर की जनता का जो विश्वास था, वह चूर-चूर हो गया था और टैररिज्म पीक पर पहुंचता गया।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसलिए बताता हूँ कि चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। इसकी जड़ों में जाना पड़ेगा। रोग क्या है, वह समझना पड़ेगा। उसकी दवाई करनी पड़ेगी, भले ही कटु हो, वह दवाई ही रोग को खत्म कर सकती है। आतंकवाद को वह दवाई ही समाप्त कर सकती है।

(1535/KN/MMN)

माननीय अध्यक्ष जी, एक समय ऐसा आया कि पूरी कश्मीर घाटी के अंदर भारत का कोई निशान नहीं मिला। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बोर्ड पर इंडिया शब्द जहाँ लिखा है, वहाँ चादर डाल दी जाती थी। भारत का झंडा फहराने के लिए मुरली मनोहर जोशी जी और नरेन्द्र मोदी जी ने यात्रा लेकर लाल चौक में जाकर अपनी जान की बाजी लगा कर झंडा फहराया। उस वक्त हम नहीं थे, हम दूर-दूर तक सत्ता में नहीं थे। ये हमें कह रहे हैं कि शंका हो रही है, डर पैदा हो रहा है। डर पैदा ही होना चाहिए, जिनके मन में भारत का विरोध है, उनके मन में डर पैदा ही होना चाहिए। जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं, उनके मन में डर होना चाहिए। हम 'टुकड़े-टुकड़े गैंग' के मेम्बर नहीं हैं। यह रिकार्ड इस हाउस में क्लियर है। हम 'टुकड़े-टुकड़े गैंग' के मेम्बर नहीं हैं, जो भारत को तोड़ना चाहते हैं। उनके मन में डर होना चाहिए। मैं नहीं कहता कि जम्मू-कश्मीर की अवाम के मन में डर होना चाहिए। हमने तो उनको देश भर में घुमाया, बच्चों की नौकरियों पर बाद में आऊँगा, क्या-क्या किया है, बच्चों को नौकरियाँ देने की शुरुआत की, कोर्टों को एस्टेब्लिश किया, स्कूलों को फंक्शनिंग में लाए, उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था की, मिड-डे-मील उन तक पहुंचता रहा और जम्मू कश्मीर की घाटी की विधवा बहनों तक विधवा पेंशन पहुँच रही है। एक बूढ़े कश्मीरी को बुढ़ापे

की पेंशन मिल रही है। उनको आज प्रधान मंत्री जी का कार्ड मिल गया है, जिससे पाँच लाख तक का इलाज वह फ्री ऑफ कॉस्ट में ले रहे हैं। उनके घर में उन्होंने गैस के सिलेंडर का स्वप्न नहीं देखा था, आज उसके घर में गैस का सिलेंडर पहुँचा है, शौचालय पहुँचा है। अध्यक्ष जी, हम डर पैदा नहीं करना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर की अवाम को हम अपना मानते हैं, हमारी है। हमारे भाई, हमारी बहनें हैं, हम गले से लगाना चाहते हैं। मगर आपने जो शंका का पर्दा डाला है, वह हटाने में हमें तकलीफ हो रही है। मैं इसलिए पूरे इतिहास में जा रहा हूँ। अधीर रंजन जी ने कहा कि पीछे का क्यों बता रहे हैं। दो बातें हैं। …(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): मैंने पीछे का नहीं बोला, मैंने कहा असलियत बताइए।…(व्यवधान)

गृह मंत्री (श्री अमित शाह): मैं असलियत ही बता रहा हूँ। अभी तो बहुत है, जरा सुन लीजिए।…(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि कश्मीर की अवाम की चिंता करने वाली सरकार है। आज तक उनकी पंचायतों को अपना पंच और सरपंच चुनने का अधिकार किसने नहीं दिया था। सिर्फ तीन ही परिवार इतने साल तक कश्मीर पर शासन करते रहे। पंचायत का शासन भी वह करे, तहसील पंचायत का भी वही करे, जिला पंचायत का भी वह करे, म्यूनिसिपेलिटी और म्यूनिसिपल कारपोरेशन का भी वह करे और सरकार भी वह चलाए, क्यों भाई? जम्मू-कश्मीर हिन्दुस्तान का हिस्सा नहीं है। आज माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मुझे यह बताते हुए, इस सदन को बताते हुए आनन्द हो रहा है कि 40 हजार पंच-सरपंच अपने अधिकार के साथ अपने गाँव का विकास कर रहे हैं। विश्वास इस तरह से खड़ा होता है। विश्वास खड़ा करने की प्रकियाएँ हैं, हमने तो अधिकार दिए, आपके समय में अधिकार छीने गए हैं। हसनैन साहब, मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि अधिकार हमने लिया। अधिकार हमने दिया है और वही तकलीफ है कि अधिकार तीन परिवारों के पास से निकल कर जनता के पास जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, पंचायत का चुनाव होना चाहिए, भूतपूर्व प्रधान मंत्री राजीव गांधी का ही यह सपना था,

इसी सदन के अंदर लेकर आए। मगर दु:ख का विषय यह है कि जम्मू-कश्मीर तक नहीं पहुँचा है। वह जम्मू-कश्मीर तक पहुँचाने का काम हमारे प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, कहते हैं कि सिचुएशन पर कंट्रोल नहीं है। हमने साहब तारीख के अंदर बहुत सारे चुनाव देखे हैं, जिसमें असेम्बली के चुनाव में, पार्लियामेंट के चुनाव के अंदर खून की नदियाँ बही हैं। सैकड़ों लोग मारे गए हैं, 40 हजार पदों के लिए 4 हजार गाँवों में चुनाव हुआ, खून का कतरा भी जम्मू-कश्मीर की भूमि पर नहीं गिरा है और आप कह रहे हैं कि कंट्रोल नहीं है। अभी लोक सभा चुनाव हुआ, एक खून का कतरा भी जम्मू-कश्मीर की जमीन पर नहीं गिरा और आप कह रहे हैं कि कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल है, मगर यह कंट्रोल आपको पसंद नहीं है, क्योंकि आपका देखने का नज़रिया अलग है, हमारा देखने का नज़रिया अलग है।

(1540/CS/VR)

महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक जम्मू-कश्मीर की जनता को भरोसे में लेने का सवाल है, हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, उनके कल्याण का सवाल है, हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है कि उनको कुछ ज्यादा भी देना पड़ेगा, तो हमारी इसलिए तैयारी है, क्योंकि उन्होंने बहुत सहा है। कुछ ज्यादा देने में कोई दिल नरेन्द्र मोदी जी का या हमारी सरकार का छोटा नहीं जो जाएगा, हम बड़े हृदय के साथ में इसके विकास में लगे हैं।

महोदय, मैं फिर एक बार कहता हूँ कि यह सिर्फ तकरीर नहीं है। जब हम कहते हैं कि हम जम्मू-कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट चाहते हैं, तो यह सिर्फ तकरीर नहीं है, भाषण नहीं है, जम्मू-कश्मीर के अवाम की खुशहाली के लिए, जम्मू-कश्मीर के अवाम को विकास देने के लिए हमने ढेर सारे कदम उठाए। 7 नवम्बर, 2015 को प्रधान मंत्री जी ने, आजादी के बाद सबसे पहला सबसे बड़ा एक विशेष पैकेज जम्मू-कश्मीर की जनता के लिए 80 हजार करोड़ रुपये का देने का काम किया।

महोदय, इस पैकेज के पहलुओं में जाते हैं तो यह पैकेज सर्वस्पर्शी है। यह लद्दाख को भी स्पर्श करता है, जम्मू को भी स्पर्श करता है, घाटी को भी स्पर्श करता है और पहाड़ियों को भी

स्पर्श करता है। यह सर्वस्पर्शी पैकेज है। यह पैकेज सर्व समावेशक पैकेज है। इसमें जम्मू-कश्मीर के हरेक नागरिक का समावेश हुआ है। इस पैकेज के तहत 63 बड़े प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट के हैं, 16 बड़ी सड़कें हैं, 8 पावर प्रोजेक्ट्स हैं, 2 एम्स हैं, 2 आईआईएम हैं, 1 आईआईटी है। पैकेज की घोषणाएं तो बहुत सारी हुई हैं। कल मैं रिव्यू लेने के लिए गया था, एक ब्रिज के बारे में मुझे बताया गया, 32 साल से उसका भूमि पूजन हुआ है, 2 खंभे वहाँ लगे हैं, मगर ब्रिज अभी भी समाप्त नहीं हुआ है।

महोदय, नरेन्द्र मोदी सरकार ने एक नई कार्य संस्कृति पैदा की है कि जिसका भूमि पूजन हम करते हैं, उसका उद्घाटन भी हम ही करते हैं। लगभग-लगभग 82 प्रतिशत धनराशि भेजी जा चुकी है। 44 प्रतिशत से ज्यादा धनराशि के टेंडर आबंटित हो चुके हैं और 16 प्रोजेक्ट्स अब तक पूरे समाप्त होकर माननीय प्रधान मंत्री और तत्कालीन गृह मंत्री जी ने उनका उद्घाटन करने का काम भी समाप्त कर दिया है।

महोदय, लद्दाख के क्षेत्रफल के अनुसार लद्दाख का 45 प्रतिशत भू-भाग है, मगर वहाँ पर स्थानीय ईकाई के चुनाव हो सकें, ऐसी स्थिति नहीं है। वे बिखरे पड़े हैं। वे बहुत बड़े क्षेत्र के अंदर छिटपुट-छिटपुट रहते हैं। हमने वहाँ हिल काउंसिल बनाकर पंचायत की तरह उनके विकास का अधिकार उनको सुपुर्द करने का काम किया और आजादी के बाद पहली बार लद्दाख को लग रहा है कि हिल काउंसिल की दृष्टि से हमें हमारा बजट खूब मिलेगा।

महोदय, उनकी फरियाद थी कि हमें प्रशासन का अनुभव नहीं है। आजादी के बाद पहली बार हमें अधिकार मिला है, हो सकता है कि हम इसे खर्च न कर पाएं, आप एक ही साल की अवधि देते हो, तो हमने लद्दाख को एक स्पेशल फेवर दिया है कि इनकी काउंसिल को जो भी बजट दिया जाएगा, वह लैप्स नहीं होगा, वह क्यूम्यूलेटिव इफेक्ट से सालों तक बरकरार रहेगा।

महोदय, हम चिंता करने वाले लोग हैं। श्रीनगर-लेह ट्रांसमिशन लाइन पूरी कर दी गई है। कारगिल और हेनली में 7500 मेगावाट की क्षमता से चलने वाले सोलर प्लांट की नींव रख दी गई है। 2 नए डिग्री कॉलेज लद्दाख में खोले हैं। 5 नए टूरिस्ट सर्किट और 5 नए ट्रेकिंग के मार्ग खुले हैं।

मैंने कल रिव्यू में इस बारे में पूछा। पाँचों मार्ग पर आज तक दुनिया भर के 170 से ज्यादा दल ट्रेकिंग के लिए आए हैं। यह लेह-लद्दाख के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है।

महोदय, 6 राज्य और दिल्ली में हमारे कश्मीरी पंडित, जो वहाँ से निष्कासित किए गए हैं, जो भागकर आए हैं, उनके लिए भी हमने बहुत कुछ किया है। उनकी नगद राहत को 2015 में 6 हजार रुपये से बढ़ाकर 10 हजार रुपये किया गया, 2018 में उसे 13 हजार रुपये किया गया। हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा यह राशि सीधे उनके एकाउंट में पहुँचा रहे हैं। जम्मू-कश्मीर राज्य सरकार में 3 हजार अतिरिक्त पद सृजित किए गए, यह उनके लिए किए गए और इसकी भर्ती की प्रक्रिया भी चालू है और 600 से ज्यादा लोगों को मिला है। ओवैसी साहब मुझसे पूछ रहे थे कि आपने पंडितों के लिए क्या किया? मैं मानता हूँ कि वे सुनते होंगे, उनका ध्यान भी होगा। हमने घाटी के अंदर 6 हजार ट्रांजिट आवासों का निर्माण कश्मीरी पंडितों के लिए शुरू किया है। अब जम्मू प्रवासियों को भी, कश्मीर की तरह, जो बाहर गए हैं, नकद राशि दी जा रही है।

(1545/RV/SAN)

माननीय अध्यक्ष जी, जम्मू-कश्मीर में पाक अधिकृत जम्मू-कश्मीर और छम्ब से जो विस्थापित आए थे, जिन्हें वहां से भागना पड़ा, उन्हें साढ़े पाँच लाख रुपये प्रति परिवार सहायता देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आपके माध्यम से सदन को यह बताते हुए मुझे आनन्द है कि आज तक 26,989 लोगों को 1100 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि उनके बैंक एकाउंट्स में ट्रांसफर की गयी है। यह 70 सालों से नहीं हुआ, भरोसा इसलिए टूटा, शंका इसलिए उत्पन्न हुई।

माननीय अध्यक्ष जी, पश्चिमी पाकिस्तान से जो शरणार्थी आए, उन्हें भी साढ़े पाँच लाख रुपये देने की शुरुआत की गयी है। जम्मू-कश्मीर में सीमा पार से गोलीबारी होती है। इससे मृत्यु अथवा 50 प्रतिशत दिव्यांगता के मामले में पाँच लाख रुपये तक की राशि दी गई। दुधारू पशुओं की हानि पर पचास हजार रुपये दिए गए। कठुआ, साम्बा, जम्मू, राजौरी और पूँछ जिले में पन्द्रह हजार बंकरों के निर्माण की शुरुआत की गयी। 4400 बंकर्स बनाए जा चुके हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। इसके सृजन के लिए भी हमने बहुत काम किया है। दो बॉर्डर बटालियन्स की मंजूरी दी गयी। दो हजार नए विशेष पुलिस अधिकारियों की ज़गहें मंजूर की गयी। उनकी भर्ती हो चुकी है, ट्रेनिंग चालू है। पाँच नई आई.आर. बटालियन्स, दो नई वूमेन बटालियन्स, और सीमावर्ती जिलों में इनकी भर्ती में 60 प्रतिशत आरक्षण देने का काम नरेन्द्र मोदी सरकार ने किया है। यह काम एक साल के अन्दर हुआ है।

अध्यादेश जारी करने के बाद आरक्षण के मामले में, जो लोग नियंत्रण रेखा के पास रह रहे हैं, उनको भी इसका फायदा होगा। अगर आप सब सहमति देंगे तो इसे कानून बनाएंगे और जम्मू क्षेत्र के इंटरनेशनल बॉर्डर के लोगों को भी इस आरक्षण का लाभ मिलेगा।

माननीय अध्यक्ष जी, राज्य सरकार में 41,000 नए पद सृजित किए गए हैं। 'हिमायत', 'उड़ान', और 'पी.एम.के.वी.वाई.' जैसी विभिन्न योजनाओं के तहत 2.87 लाख युवाओं को प्रशिक्षण देने का काम किया गया है। देश के दूसरे स्थानों पर अनुमोदित पाठ्यक्रमों में उच्चतर शिक्षा के लिए 18,000 से ज्यादा युवकों को पी.एम. स्कॉलरशिप्स देने का काम किया गया। 'वतन को जानें' प्रोग्राम के तहत 6,000 कश्मीरी युवाओं को, जो शंका आपके समय में सृजित हुई थी, उस शंका का निवारण करने के लिए, देश भर में घुमा कर, देश आपका है - इसका अहसास दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेन्द्र मोदी सरकार ने किया।

'सेवा' के माध्यम से कुपवाड़ा में लगभग 880 मास्टर ट्रेनर्स बनाए गए, 49 महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया।

अध्यक्ष महोदय, बहुत सारी लम्बी चीज़ें हैं। मैं सदन का ज्यादा वक्त लेना नहीं चाहता, मगर मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि यह जो भय की बात है, इसके दो हिस्से हैं। जो जम्मू-कश्मीर की अमन पसन्द आवाम है, उनके मन में कोई भय नहीं है, बल्कि उत्साह है। उन्हें नए मौके दिखाई पड़ रहे हैं। उन्हें लगता है कि 70 सालों के बाद वे तीन परिवारों के चंगुल से मुक्त हुए हैं। मगर, जिनके मन में जम्मू-कश्मीर के अन्दर आग लगाने की मंशा है, जिनके मन में जम्मू-कश्मीर को भारत से अलग करने की मंशा है, जिनके मन में अलगाववाद खड़ा करने की मंशा है, तो मैं कहना

चाहता हूं कि हाँ, उनके मन में भय है, यह होना चाहिए और यह और बढ़ेगा। जो देश के साथ जम्मू-कश्मीर को जोड़ना नहीं चाहते हैं, उन्हें जरूर भयभीत होना चाहिए और वह अच्छे शासन का गुणधर्म है।

माननीय अध्यक्ष जी, बहुत सारे माननीय सदस्यों ने अलग-अलग चीजें उठाई हैं। अपने भर्तृहरि जी ने यह प्रश्न उठाया कि क्या इस ऑर्डिनैंस को फिर से राज्य विधान मंडल की अनुमति की जरूरत पड़ेगी? इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जम्मू-कश्मीर के संविधान ने भारत की संसद के दोनों सदनों को यह अधिकार दिया हुआ है। लेकिन, अगर वहां नई चुनी हुई सरकार आती है तो वह इस बिल पर जरूर पुनर्विचार कर सकती है। किसी भी बिल पर कोई भी सदन पुनर्विचार कर सकता है। अगर वहां विधान मंडल है तो उसे यहां आने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

दानिश अली जी ने कहा कि 'इंसानियत, ज़म्हूरियत और कश्मीरियत' की नीति चालू रहनी चाहिए। दानिश अली साहब, 'इंसानियत, ज़म्हूरियत और कश्मीरियत' की नीति चालू ही है। इंसानियत तो वह है कि 70 सालों के बाद जम्मू-कश्मीर की माताओं को एक टॉयलेट उपलब्ध कराने का काम इस सरकार ने किया है, उनकी झोपड़ी को धुएँ से मुक्त कराने का काम किया है।

(1550/MY/SM)

जम्मू-कश्मीर के अंदर एक लाख 42 हजार लोगों को घर देने का काम नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इंसानियत तो यह है कि इनके मन में जो भय था, शंका थी और अविश्वास था, उसे दूर करने लिए हमने उनको सुरक्षा दी है और जो इसे खड़ा करते थे, उनके मन में भय का सृजन किया है, यही इंसानियत है।

जहां तक जम्हूरियत का सवाल है, 87 लोगों की जम्हूरियत की बहुत ज्यादा चिंता मत करो। इलेक्शन कमीशन जब कहेगा, हम चुनाव करा लेंगे, शांतिप्रिय चुनाव होगा, उसमें हमारा कोई दखल नहीं होगा। दानिश अली साहब, हमने 40 हजार लोगों तक जम्हूरियत को पहुंचाने का काम किया है। क्या 70 साल तक इन 40 हजार लोगों को जम्हूरियत मालूम थी? उनके यहां सरकार के एजेंट डाल देते थे। वे अपने नुमाइंदा नहीं चुन पाते थे। वे अपनी बात अपनी पंचायत में नहीं रख

सकते थे। मेरे गांव में क्या चाहिए, वह तय नहीं कर सकते थे। मेरे तहसील के अंदर, मेरे जिले के अंदर क्या चाहिए, वे तय नहीं कर सकते थे। जम्हूरियत इसको कहते हैं कि आज गांव का विकास कैसे करना है, उस गांव के सरपंच और पंच बैठकर इस काम को कर रहे हैं। एक करोड़ रुपये, पचास लाख रुपये, अस्सी लाख रुपये जैसी अमाउन्ट ग्राम पंचायत के खाते में दिल्ली के खजाने से सीधे जाती है, इसको जम्हूरियत कहते हैं।

अब जहां तक कश्मीरियत का सवाल है, कश्मीरियत खून बहाने में नहीं है, कश्मीरियत देश का विरोध करने में नहीं है, बल्कि कश्मीरियत देश के साथ जुड़े रहने में है, कश्मीरियत कश्मीर की भलाई के लिए है, कश्मीरियत कश्मीर की संस्कृति को तवज्जो देने की है। किसने सूफ़िज्म को भगाया, किसने कश्मीरी पंडितों को भगाया, क्या वे कश्मीर की संस्कृति का हिस्सा नहीं हैं? कहां गए सूफ़ी? मैं पूछना चाहता हूं। जो हम पर सवाल करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कहां हैं सूफ़ी?

माननीय अध्यक्ष जी, हम कश्मीर की संस्कृति की रक्षा करने के लिए कटिबद्ध हैं। मैं आपके माध्यम से पूरे सदन और देश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि कश्मीरियत जरा भी डाइलूट नहीं होगी।

माननीय अध्यक्ष जी, प्रेमचन्द्रन जी ने कहा कि ऑर्डिनेन्स लाए। प्रेमचन्द्रन जी, मैं बताना चाहता हूं कि राष्ट्रपति शासन, धारा 356, कितनी बार किस पार्टी ने लगाया। अगर और ज्यादा डिटेल चाहिए तो मैं फिर से पढ़ देता हूं। ऑर्डिनेन्स के आँकड़ें आप देखेंगे तो बहुत आश्चर्यचकित हो जाएंगे इसलिए मैं देना नहीं चाहता। जितने ऑर्डिनेन्स कांग्रेस के शासन में आए, उतने कुल मिलाकर सब शासन में नहीं आए। इसके एक-चौथाई है, इसलिए आप हमें यह न कहें। छह महीने में ऑर्डिनेन्स को सदन में लाना ही पड़ता है। हम चर्चा भी करते हैं, शांति से चर्चा करते हैं। आपके एक-एक बात का मैं जवाब दे रहा हूं। ओवैसी साहब ने कहा कि डीलिमिटेशन का क्या करोगे...(व्यवधान) अच्छा, वह चले गए। छोड़ दीजिए, आगे चले।...(व्यवधान) श्री नायडू जी ने कहा कि गृह मंत्री एश्योरेंस देंगे कि हम चुनाव करा देंगे। इलेक्शन हमें नहीं कराना होता है, चुनाव

इलेक्शन कमीशन को कराना होता है। अध्यक्ष जी, जिस दिन इलेक्शन कमीशन अनुशंसा करेगी, हमारी सरकार एक सेंकेंड की भी देरी चुनाव कराने में नहीं करेगी।...(व्यवधान) यह विषय नहीं है, मगर जवाब चाहिए तो मैं उसका जवाब दे दूंगा।...(व्यवधान) आप खड़े होकर रिकॉर्ड पर कह दो, मैं तुरंत जवाब दे दूंगा। आपने 13 बार किया है। जब आपकी बारी आई, तब सहन नहीं होता है। 13 बार इस तरह से कांग्रेस पार्टी ने चुनाव कराए और देश की सुप्रीम कोर्ट ने इसको निकाल दिया है।...(व्यवधान)

SHRI K. MURALEEDHARAN (VADAKARA): Why are you angry?

श्री अमित शाह: मैं एंग्री नहीं हो रहा हूं।...(व्यवधान) मैं जरा भी एंग्री नहीं हो रहा हूं। भईया, ऐसा है, जरा सुनिए तो मैं आपको बताता हूं। मैं जरा भी गुस्सा नहीं हूं। मेरी आवाज़ ऊंची हुई है, वह इसलिए ऊंची हुई है कि अगर किसी को न सुनाई पड़े तो ध्यान से सुन ले।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, जसबीर जी ने कहा...(व्यवधान) अरे भईया, इसको आप इतना पर्सनली क्यों लेते हो? किसी आदमी की आवाज़ बड़ी हो सकती है।...(व्यवधान) आप आवाज़ पर क्यों जाते हो? आप कन्टेन पर जाओ। हसनैन साहब ने कहा कि धारा 370 है। हसनैन साहब, मैं मानता हूं कि धारा 370 है। मगर क्या आप स्थाई शब्द भूल गए हैं?

(1555/CP/AK)

यह अस्थायी है, परमानेंट नहीं है। अस्थायी शब्द है, आप भूल गए हैं या तो जान-बूझकर पढ़ते नहीं है। धारा 370 हमारे संविधान का अस्थायी मुद्दा है, यह याद रखिएगा। यह शेख अब्दुल्ला साहब की सहमति से ही हुआ है। आपने कहा कि एप्रोच में परिवर्तन, मैं सदन के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूं, माननीय प्रधान मंत्री जी, हमारी सरकार या मेरे एप्रोच के अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हमारा एप्रोच पहले भी वह था, आज भी वह है, आगे भी यही रहेगा। भारत को सुरक्षित, समृद्ध, सुसंस्कृत और शिक्षित बनाने का एप्रोच हमारा जस का तस बना रहेगा। इसलिए आप परिवर्तन की चिंता न करें। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ये जो संकल्प और बिल जो मैं

आज लेकर आया हूं, ये जम्मू-कश्मीर की भलाई के लिए हैं। एक विशिष्ट प्रकार की सिचुएशन खड़ी हुई है।

ओवैसी साहब ने यह भी पूछा था कि इसके साथ चुनाव क्यों नहीं कराए गए? काफी मेंबर्स ने भी पूछा कि लोक सभा के साथ वहां चुनाव क्यों नहीं कराए गए? मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि लोक सभा की छ: सीट्स होती हैं, छ: प्रत्याशी होते हैं। जब असेंबली का चुनाव करते हैं, तो ढेर सारी जगहों पर असेंबली के चुनाव होते हैं, ढेर सारे प्रत्याशी होते हैं। लोक सभा चुनाव के साथ इन सब को सुरक्षा प्रदान करना संभव नहीं था। ढेर सारी सुरक्षा की ऊर्जा भारत विरोधियों को सुरक्षा देने में खर्च होती थी। अब उससे मुक्ति मिल गई है। चुनाव आयोग जब भी कहेगा, हम तुरन्त चुनाव करा लेंगे। इसकी आप जरा भी चिंता मत करिए। कश्मीर के अंदर लोकतंत्र बहाल करना, हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। मगर हम तभी इसे कर सकते हैं, जब चुनाव आयोग हमें कहे।

माननीय अध्यक्ष जी, अंत में, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन से अपील करना चाहता हूं कि ये जो दोनों बिल मैं लेकर आया हूं, माननीय मनीष जी, अब सुनें, उसमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, विचारधारा से ऊपर उठकर इसका समर्थन करिए। यही विनती करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

(इति)

1557 hours

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Thank you very much, Speaker, Sir. I am limiting to my observations regarding my Statutory Resolution. I would like to exercise my right of reply to the Statutory Resolution moved by me. I would like to remember the cherishing memories of Pandit Jawaharlal Nehru, who is the architect of modern India and who made this Parliamentary democratic system as the best one in the world.

Regarding my Statutory Resolution, I would like to say that the specific question that I have posed before the hon. Minister is regarding the date by which the Ordinance is being promulgated. Yes, the hon. Minister is absolutely correct that there are a lot of instances when Ordinances were promulgated by the then Governments, especially, the Congress Government. But the promulgation of an Ordinance should have some logical reasoning.

As far as this case is concerned, the Jammu and Kashmir Reservation Act is of 2004, and the BJP-led Shri Narendra Modi Government was there in power for the last five years. This Government did not get time to pass or it did not get time to legislate on the matter. But on 1st March, that is, just 10 days before the election notification was issued, the Government promulgated an Ordinance so as to provide reservation for the people who are residing at the adjoining areas of international border. This means that you are using Article 123 of the Constitution. Though you are having absolute power, yet it is a misuse of Article 123 (1). This is the point that I would like to make here.

Regarding other issues, I am not bound to reply. I would like to say once again that forces in the State of Jammu and Kashmir definitely require it in order to abate the terrorist forces, but at the same time we have to get the love and affection of people of Jammu and Kashmir beyond all political means. With these words, I would like to conclude. Thank you very much.

(ends)